

**राजस्थान सरकार**  
**अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक:-स .3-3 (1) स्था/मंत्रा./अभि./2017/ 6255-60

दिनांक:- 13-4-17

**आदेश:-**

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 में वर्णित शर्तों के अनुसार निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवानिवृत्ति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनो में से जो कम हो, जो कि इस शर्त के अधधीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन मे से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नही हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री लक्ष्मीनारायण सैनी	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	17.07.56	एडीपी बून्दी	प्रथम बार
2.	श्री भगवती प्रसाद शर्मा	सहा. कार्या. अधी. अभियोजन विभाग	09.07.56	एडीपी बून्दी	प्रथम बार
3.	श्री हरि सिंह	सहा. कार्या. अधी. अभियोजन विभाग	01.10.54	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
4.	श्री बिजेन्द्र सिंह	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	11.09.56	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
5.	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	सहा. कार्या. अधी. अभियोजन विभाग	15.11.55	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
6.	श्री लाल सिंह	लिपिक ग्रेड-द्वितीय, अभियोजन विभाग	05.08.56	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
7.	श्री अब्दुल मजीद पटान	कार्यालय अधीक्षक, अभियोजन विभाग	01.01.57	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
8.	श्री राधेश्याम पंवार	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	07.03.58	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
9.	श्री मार्गोराम सुथार	कार्यालय अधीक्षक, अभियोजन विभाग	13.01.57	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
10.	श्री प्रेम रतन सुथार	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	01.02.57	एडीपी बीकानेर	प्रथम बार
11.	श्री शंकर दयाल शर्मा	कार्यालय अधीक्षक, अभियोजन विभाग	03.09.56	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	प्रथम बार
12.	श्री खाजू खा	लिपिक ग्रेड-प्रथम, बिसलपुर परियोजना	08.11.53	एडीपी टोंक	प्रथम बार

13.	श्री अर्जुन दत्त श्रृंगी	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	27.11.56	एडीपी कोटा	प्रथम बार
14.	श्री जुगराज सिंह	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	02.10.56	एडीपी कोटा	प्रथम बार
15.	श्री रामपाल राणा	लिपिक ग्रेड-प्रथम, अभियोजन विभाग	01.02.57	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	प्रथम बार
16.	श्री ओमप्रकाश गौतम	लिपिक ग्रेड-द्वितीय, अभियोजन विभाग	18.07.55	एडीपी झालावाड	प्रथम बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।


यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 123897 दिनांक 12.04.2017 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
 (देवेन्द्र दीक्षित)  
 निदेशक अभियोजन  
 राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, .....
4. संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
5. लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।

  
 निदेशक अभियोजन  
 राजस्थान जयपुर